मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05/10/2023

क्र. एफ IPI/5/0059/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स एसएमओ फैरो एलॉयज प्रा.लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला- झाबुआ में रू. 209.50 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से सिलिको मैंगनीज इकाई में विस्तार कर शवलीकृत उत्पाद पिग आयरन, हार्ड कोक, सीमेंट के उत्पादन हेतु परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2210060003) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जायें -

1. विद्युत टैरिफ में रियायत- विस्तार परियोजना अंतर्गत नवीन/ स्थापित विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

2. विद्युत शुल्क से छूट- परियोजना अंतर्गत नवीन/ स्थापित कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

3. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

5. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ. क्र. IPI/5/0059/2023/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 05 / 10 /2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/खनिज संसाधन विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - झाबुआ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स एसएमओ फैरो एलॉयज प्रा.लि., 1, Wahid Nagar, Old Bypass Road, Ratlam- 457001, MP, India.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग